[28/12/2020]
परिशिष्ट "अ"
अतारांकित प्रश्न कमांक 356
द्वारा– श्री दिलीप सिंह गुर्जर

प्रश्न सं. [क्र. 356]

कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक, नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.)

फो.न. 07366-241788
मेलआईडी cspnagdaujjain12345@Gmail.com

क्र./नपुअ/नागदा/शिज/ आई-35-सी/2020
दिनांक:- 06-12-2020

प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला उज्जैन, (म.प्र.)

विषय :- शिकायत जाँच प्रतिवेदन पर टीप।

संदर्भ :-श्रीमान के पत्र क्र. / पुअ / उज्जैन / शिज / आई- 497 / 2020 दिनांक 09-06-2020.

1.आवेदक का नाम पता – जगदीश मालवीय पिता भंवरलाल मालवीय उम्र 28 वर्ष नि. दुर्गापुरा, केमीकल कॉलोनी के पीछे, नागदा जं., जिला उज्जैन।

2.अनावेदको के नाम पता – 1.पूर्व विधायक दिलीप शेखावत, 2.अजय शेखावत, 3.पुष्पेन्द्र शेखावत, 4.जितेन्द्रसिंह तंवर, 5.मोंटी ठाकुर, 6.सी.एम. अतुल, 7.आकाश सकत, 8.कार्तिक ठाकुर, 9.राहुल बैरागी नि.गण नागदा

3.शिकायत का संक्षिप्त विवरण – अनावेदको द्वारा आवेदक की हत्या का षड़यन्त्र रचने व आवेदक व आवेदक के परिवार की सुरक्षा किये जाने के संबंध में।

4.थाना / जाँच कर्ता – सउनि एच.पी.एस. चौहान, थाना बिरलाग्राम

5.जाँच मे पाए गए तथ्यो का संक्षिप्त विवरण –

उपरोक्त विषयांकित आवेदक जगदीश पिता भंवरलाल मालवीय उम्र 28 वर्ष नि. दुर्गापुरा, केमीकल कॉलोनी के पीछे, नागदा जं., जिला उज्जैन का आवेदन संदर्भित पत्र से जाँच हेतु प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन किया जाकर थाना प्रभारी बिरलाग्राम से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। थाना प्रभारी बिरलाग्राम द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया है, कि शिकायती आवेदन पत्र की जांच करते आवेदक को कथन देने हेतु थाना पर उपस्थित होने हेत आवेदक के मोबाइल नम्बर पर सूचित कर तथा सूचना पत्र भेजकर तलब किया गया जो आवेदकजगदीश मालवीय उपस्थित नही हुआ तथा बाद में अपना फोन भी बंद कर लिया था। जगदीश मालवीय के घर पर जाकर उसके परिजनो को भी जगदीश मालवीय को कथन देने हेतु भेजने बाबत अवगत कराया गया। दिनांक 06-08-2020 को आवेदक जगदीश मालवीय थाना पर उपस्थित हुआ था, तब उसे कथन देने हेतु कहने पर उसके द्वारा अपने वकील से चर्चा उपरांत ही कथन देने का कहा था। जबकि आवेदक द्वारा थाना के अपराध क्रमांक 238/20 मे धारा 161 जा.फो. के तहत कथन लेखबद्ध कराया था। आवेदक जानबूझ कर अपने आवेदन पत्र के संबंध मे कथन नहीं देना चाहता है। आवेदक को उस दौरान समझाइश दी गयी थी कि यदि आप कथन नही देना चाहते हो तो विधि सम्मत न्यायालयीन कार्यवाही करे अथवा अपना कथन स्वयं लिखित मे प्रस्तुत करे। जांच के दौरान अनावेदक पक्ष मे सी.एम. अतुल पिता सी.जी. मोहन निवासी 56 ब्लाक नागदा एवं कार्तिक ठाकुर पिता राजेश ठाकुर दुर्गापुरा केमीकल कालोनी के पीछे बिरलाग्राम नागदा के कथन लिये गये जिन्होंने बताया कि वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य व सक्रीय कार्यकर्ता हैं तथा पार्टी मे पदों पर भी पदस्थ है, इसी कारण जगदीश मालवीय द्वारा हमारा वर्चस्व क्षेत्र मे ना हो व हमारी छवि धूमिल हो, बढ़ा-चढ़ाकर झूठा आवेदन पत्र दिया है। आवेदक से हमारा कोई व्यक्तिगत विवाद नही है। आवेदक स्वयं ही राजनैतिक प्रतिद्वन्तिता के चलते हमे बदनाम करने हेतु अनावश्यक फेसबुक पर कमेंट लिखता रहता है तथा शिकायतें कर रहा है। आवेदक के आवेदन पत्र की जांच से पूर्व विधायक श्री दिलिप सिह जी शेखावत व उनके पुत्र अजय सिह शेखावत जो कि पूर्व मे भी सम्मानीय जनप्रतिनिधी के पद पर थे तथा वर्तमान मे भी भा.ज.पा. मे सम्मानीय जनप्रतिनिधी के पद पर है, उनकी इस शिकायत मे कोई संलिप्तता नही पाई गयी है। फिर भी आवेदक मे इस बात को लेकर अनावेदकगण आवेदक से कोई विवाद न करे व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पूर्व विधायक श्री दिलिपसिह जी शेखावत व उनके पुत्र अजयसिह शेखावत को छोड़कर शेष अन्य अनावेदकगण के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के तहत इस्तगासा क्र. 375/20 धारा 107,116 (3) जा.फो. के तहत इस्तगासा बना कर सक्षम न्यायालय पेश किया गया है। जांच से कोई संज्ञेय अपराध का घटित होना नही पाया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र बढ़ा-चढ़ा कर दिया गया है। प्रतिवेदन श्रीमान की सेवा मे अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

13/12/20
AIG of Police

- 5 -

अ.- जाँच के उपरांत संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध पाया गया। निरंक
संज्ञेय अपराध की स्थिति – निरंक
ब.-प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का विवरण – इस्त.क्र. 375/2020 धारा 107,116 जा.फौ. तथा
स.-सिद्ध/असिद्ध – निरंक
द.-जाँच में कोई बिन्दु शेष नहीं – निरंक
ई.-अन्य कोई बिन्दु/रिमार्क – निरंक

संलग्न – 1.मूल आवेदन ------------------------------- 01
2.था.प्र. के प्रतिवेदन की छायाप्रति ------- 01
3.कथन की छायाप्रति -------------------- 01

नगर पुलिस अधीक्षक
नागदा, जिला उज्जैन

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL